२०१7/००१३२

निर्णय न्यायालय श्री मनोज कुमार वर्मा, आर0ए0एस0, उप जिला कलेक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट मलारनाडूंगर जिला सवाई माधोपुर

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
35/2017	15.9.2017	03/10/19

अब्दुल रहमान खां पुत्र अहमद खां जाति मुसलमान निवासी मलारनाडूंगर हाल निवासी गड्डा पाडिया, मुबारक मस्जिद के पास, वार्ड नं0 11 टोंक जिला टोंक (राजस्थान) ——वादी

बनाम

1. कलाम पुत्र अब्दुल सलाम, मुसलमान नि0 मलारनाडूंगर तह0 मलारनाडूंगर
2. कय्याम पुत्र अब्दुल सलाम उम्र 13 वर्ष नाबालिग जरिए संरक्षक माता शम्मो पत्नी अब्दुल सलाम निवासी मलारनाडूंगर तहसील मलारनाडूंगर
3. समीर पुत्र अब्दुल सलाम उम्र 8 वर्ष नाबालिग जरिए संरक्षक माता शम्मो पत्नी अब्दुल सलाम निवासी मलारनाडूंगर तहसील मलारनाडूंगर
4. शबाना पुत्री अब्दुल सलाम उम्र 20 वर्ष नि0मलारनाडूंगर तह0मलारनाडूंगर
5. शम्मो पत्नी अब्दुल सलाम, मुसलमान नि0मलारनाडूंगर तह0मलारनाडूंगर
6. सरकार जरिए तहसीलदार मलारनाडूंगर ——प्रतिवादीगण

दावा बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :—श्री रवि प्रकाश अग्रवाल, एडवोकेट, वादी की ओर से
श्री गुलशेर, एडवोकेट, प्रतिवादीगण की ओर से

निर्णय

वादी ने वादपत्र इस आशय का पेश किया है कि वादी एवं अब्दुल सलाम आपस में सगे भाई थे। अब्दुल सलाम की मृत्यु 4 वर्ष पूर्व हो चुकी है। प्रतिवादी नं0 1 लगायत 5 उसके वारिस हैं। वादी एवं प्रतिवादी नं0 1 लगायत 5 के कब्जे काश्त व खातेदारी की संयुक्त आराजियात ख0नं0 384 रकबा 1 बीघा 10 विस्वा, ख0नं0 1510 रकबा 1 बीघा 3 विस्वा तथा ख0नं0 1512 रकबा 12 विस्वा ग्राम मलारनाडूंगर ए में स्थित है जिसमें वादी का हिस्सा 1/2 व प्रतिवादी सं0 1 लगायत 5 का हिस्सा 1/2 है। वादी एवं प्रतिवादी नं0 1 लगायत 5 ने उक्त भूमि का मौके पर बंटवारा कर रखा है जिसमें वादी के पास ख0नं0 1512 व ख0नं0 1510 का कब्जा है तथा प्रतिवादीगण के पास ख0नं0 384 है। भूमि रिकार्ड में संयुक्त खातेदारी में दर्ज है, पक्षकारों ने मौके पर भूमि के हिस्से कर रखे हैं परन्तु राजस्व रिकार्ड में हिस्से अनुसार पृथक पृथक खातेदारी नहीं हो रही है इसलिए वादी एवं प्रतिवादी नं0 1 लगायत 5 के मध्य विवाद होने की संभावना हो रही है। दि0 7.9.2017 को वादी ने प्रतिवादी नं0 1 लगायत 5 से उक्त आराजियात के

(मनोज कुमार वर्मा)
उप जिला कलेक्टर
मलारनाडूंगर

Scanned by CamScanner

हिस्से अनुसार बंटवारा करवा कर पृथक–पृथक खातेदारी करवाने हेतु कहा तो प्रतिवादीगण ने मना कर दिया। अतः दावा प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी का दावा डिक्री किया जाकर ख0नं0 384 रकबा 1 बीघा 10 विस्वा, ख0नं0 1510 रकबा 1 बीघा 3 विस्वा तथा ख0नं0 1512 रकबा 12 विस्वा ग्राम मलारनाडूंगर ए में वादी का हिस्सा 1/2 का विधिवत विभाजन किया जाकर वादी के हिस्से 1/2 को पृथक से राजस्व रिकार्ड में वादी के नाम दर्ज किया जावे एवं नक्शा ट्रेस में तरमीम की जावे प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वेजब तक वादी के हिस्से का विधिवत तकासमा नहीं हो जावे तब तक वादग्रस्त आराजियात को रहन, वय, विक्रय या बेचान नहीं करें।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया । प्रतिवादी संख्या 6 बाबजूद सूचना हाजिर नहीं हुए अतः प्रतिवादी संख्या 6 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई।

प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 ने अपने जबाब दावे में अंकित किया है कि वादपत्र गलत तथ्यों पर आधारित है एवं प्रतिवादीगण को हैरान व परेशान करने की गरज से किया गया है। भूमि ख0नं0 384 रकबा 1 बीघा 10 विस्वा, ख0नं0 1510 रकबा 1 बीघा 3 विस्वा, ख0नं0 1512 रकबा 12 विस्वा, ख0नं0 1290 रकबा 19 विस्वा वादी एवं प्रतिवादी नं0 1 लगायत 5 की संयुक्त खातेदारी की भूमि है । वादी ज्यादा भूमि पर काबिज है जबकि लगान दोनों आधा आधा देते आ रहे हैं। वादी ने बदनियति से मात्र कुल रकबा 3 बीघा 5 विस्वा का ही तकासमा वादपत्र पेश किया है। यह अपूर्ण वादपत्र है जो खारिज होने योग्य है। वादी का यह कहना कतई गलत है कि दिनांक 7.9.2017 को उसने प्रतिवादीगण से बंटवारे के लिए कहा हो एवं प्रतिवादीगण ने मना कर दिया हो। अतः जबाब वादपत्र मय काउन्टर क्लेम प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी का वादपत्र निराधार मानते हुए खारिज कर प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम स्वीकार करते हुए जबाब काउन्टर क्लेम के मद नं0 2 में वर्णित कृषि भूमि का वादी व प्रतिवादी सं0 1 लगायत 5 के मध्य जमाबंदी रिकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी भूमि का विधिवत विभाजन फरमाया जावे तथा प्रत्येक को मिली भूमि का नक्शा ट्रेस जमाबंदी आदि में पृथक पृथक इन्द्राज कर लगान कायम फरमाया जावे व वादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वो प्रतिवादीगण को विभाजन में प्राप्त भूमि पर फसल काश्त करने में स्वयंप्रत्यक्ष

मनोज कुमार वर्मा
उप जिला कलेक्टर
मलारना डूंगर

Scanned by CamScanner

या परोक्ष कोई बाधा उत्पन्न नहीं करें न ही किसी अन्य की मार्फत करावें।

वादपत्र के समर्थन में वादी ने नकल जमाबंदी सं0 2050 से 2053 खाता संख्या 40, नकल खसरा गिरदावरी सं0 2073, नकल नक्शा ट्रेस प्रस्तुत किए हैं।

जबाब दावा के समर्थन में प्रतिवादीगण ने नकल जमाबंदी सं0 2050 से 2053 खाता संख्या 40 व 166 प्रस्तुत किए हैं।

बहस विद्वान वकील उभयपक्ष सुनी गई।

वादी के विद्वान वकील ने अपने वादपत्र के अनुरूप बहस करते हुए खाता संख्या 40 ग्राम मलारनाडूंगर ए में दर्ज भूमि का पक्षकारों के मध्य हिस्से अनुसार विभाजन कर खाते प्रथक प्रथक करने का निवेदन किया है।

प्रतिवादीगण के विद्वान वकील ने अपने जबाब के अनुसार बहस करते हुए कहा है कि वादी ने पक्षकारों की संयुक्त खातेदारी में दर्ज सम्पूर्ण भूमि का विभाजन करने हेतु वाद प्रस्तुत नहीं कर मात्र खाता संख्या 40 में दर्ज तीन खसरा नम्बरों के विभाजन का ही वाद प्रस्तुत किया है जबकि वादी एवं प्रतिवादी नं0 1 लगायत 5 के संयुक्त खातेदारी में खाता संख्या 166 में दर्ज एक खसरा नम्बर और है अतः दोनों खातो में दर्ज भूमि का विधिवत अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी अनुसार विभाजन फरमाया जावे।

बहस पर मनन किया । पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। नकल जमाबंदी सं0 2050 से 2053 खाता संख्या 40 के अनुसार भूमि ख0नं0 384 रकबा 1 बीघा 10 विस्वा, ख0नं0 1510 रकबा 1 बीघा 3 विस्वा, ख0नं0 1512 रकबा 12 विस्वा कुल रकबा 3 बीघा 5 विस्वा वादी एवं प्रतिवादी नं0 1 लगायत 5 की संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। इसी अनुसार खाता संख्या 166 में दर्ज भूमि ख0नं0 1290 रकबा 19 विस्वा भी वादी एवं प्रतिवादी नं0 1 लगायत 5 की संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। वादी ने मात्र खाता संख्या 40 में दर्ज 3 खसरा नम्बरों के विभाजन हेतु वाद प्रस्तुत किया है जबकि प्रतिवादीगण ने खाता संख्या 40 व खाता संख्या 166 में दर्ज भूमि के विभाजन हेतु काउन्टर क्लेम प्रस्तुत किया है। चूंकि खाता संख्या 40 व 166 में दर्ज भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 की संयुक्त खातेदारी में दर्ज है इसलिए न्याय की दृष्टि से इन दोनों खातो में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 के नाम दर्ज भूमि का पक्षकारों के मध्य बंटवारा किया जाना उचित है एवं इसी अनुसार भूमि के विभाजन हेतु तहसीलदार मलारनाडूंगर से विभाजन स्कीम मंगवाया जाना उचित है।

कुमार वर्मा
जिला कलेक्टर
मलारना डूंगर

Scanned by CamScanner

अब्दुल रहमान बनाम कलाम वगैरा, दावा

(4)

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादीगण का वाद, प्रतिवादीगण का काउन्टर क्लेम स्वीकार किया जाता है एवं भूमि ख0नं0 384 रकबा 1 बीघा 10 विस्वा, ख0नं0 1510 रकबा 1 बीघा 3 विस्वा, ख0नं0 1512 रकबा 12 विस्वा, ख0नं0 1290 रकबा 19 विस्वा ग्राम मलारनाडूंगर ए में दर्ज पक्षकारों के हिस्से अनुसार विभाजन स्कीम तहसीलदार मलारनाडूंगर से मंगवाने हेतु प्राथमिक डिक्री जारी की जाती है। उपरोक्त आदेशानुसार भूमि ख0नं0 384 रकबा 1 बीघा 10 विस्वा, ख0नं0 1510 रकबा 1 बीघा 3 विस्वा, ख0नं0 1512 रकबा 12 विस्वा, ख0नं0 1290 रकबा 19 विस्वा ग्राम मलारनाडूंगर ए के मौके पर जाकर विभाजन स्कीम तैयार कर इस न्यायालय को मय नक्शा ट्रेस दो प्रतियो में भिजवाने हेतु तहसीलदार मलारनाडूंगर को रू0 500/- पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। विभाजन स्कीम हेतु उपरोक्त आदेशानुसार तहसीलदार मलारनाडूंगर को लिखा जावे। प्राथमिक डिक्री जारी की जावे।

निर्णय आज दिनांक 03/10/19 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

03/10/19

(मनोज कुमार वर्मा)
उप जिला कलेक्टर
मलारनाडूंगर

Scanned by CamScanner

प्राथमिक डिकरी व मुकद्दमे इब्तदाई
(ऑर्डर 20, रूल 6–जाब्ता दीवानी)
(Civil Proceede Code, Appendix D-1)

Judi/Civil
Part IV-10

अज अदालत उप जिलाकलेक्टर मुकाम मलारनाडूंगर
इजलास मनोज कुमार वर्मा, आर0ए0एस0

उनवान

अब्दुल रहमान खां पुत्र अहमद खां जाति मुसलमान निवासी मलारनाडूंगर हाल निवासी गड्डा पाडिया, मुबारक मस्जिद के पास, वार्ड नं0 11 टोंक जिला टोंक (राजस्थान)

––वादी

बनाम

1. कलाम पुत्र अब्दुल सलाम, मुसलमान नि0 मलारनाडूंगर तह0 मलारनाडूंगर
2. कय्याम पुत्र अब्दुल सलाम उम्र 13 वर्ष नाबालिग जरिए संरक्षक माता शम्मो पत्नी अब्दुल सलाम निवासी मलारनाडूंगर तहसील मलारनाडूंगर
3. समीर पुत्र अब्दुल सलाम उम्र 8 वर्ष नाबालिग जरिए संरक्षक माता शम्मो पत्नी अब्दुल सलाम निवासी मलारनाडूंगर तहसील मलारनाडूंगर
4. शबाना पुत्री अब्दुल सलाम उम्र 20 वर्ष नि0मलारनाडूंगर तह0मलारनाडूंगर
5. शम्मो पत्नी अब्दुल सलाम, मुसलमान नि0मलारनाडूंगर तह0मलारनाडूंगर
6. सरकार जरिए तहसीलदार मलारनाडूंगर

––प्रतिवादीगण

दावा बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नं. –35/2017

यह मुकदमा आज वास्ते इनफियाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी श्री रवि प्रकाश अग्रवाल, एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई श्री गुलशेर खान, एडवोकेट मुद्दायलह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादीगण का वाद, प्रतिवादीगण का काउन्टर क्लेम स्वीकार किया जाता है एवं भूमि ख0नं0 384 रकबा 1 बीघा 10 विस्वा, ख0नं0 1510 रकबा 1 बीघा 3 विस्वा, ख0नं0 1512 रकबा 12 विस्वा, ख0नं0 1290 रकबा 19 विस्वा ग्राम मलारनाडूंगर ए में दर्ज पक्षकारों के हिस्से अनुसार विभाजन स्कीम तहसीलदार मलारनाडूंगर से मंगवाने हेतु प्राथमिक डिक्री जारी की जाती है। उपरोक्त आदेशानुसार भूमि ख0नं0 384 रकबा 1 बीघा 10 विस्वा, ख0नं0 1510 रकबा 1 बीघा 3 विस्वा, ख0नं0 1512 रकबा 12 विस्वा, ख0नं0 1290 रकबा 19 विस्वा ग्राम मलारनाडूंगर ए के मौके पर जाकर विभाजन स्कीम तैयार कर इस न्यायालय को मय नक्शा ट्रेस दो प्रतियो में भिजवाने हेतु तहसीलदार मलारनाडूंगर को रू0 500/– पर कमिश्नर नियुक्त किया

मनोज कुमार वर्मा
उप जिला कलेक्टर
मलारना डूंगर

Scanned by CamScanner

जाता है। विभाजन स्कीम हेतु उपरोक्त आदेशानुसार तहसीलदार मलारनाडूंगर को लिखा जावे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 03/10/19 को जारी किया गया।

03/10/19

(मनोज कुमार वर्मा)
उप जिलाकलेक्टर
मलारनाडूंगर

मुद्दई	रूपया	पैसा	मुद्दायलह	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा					
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प पर्ची		
महनताना वकील			महनतानावकील पर		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत इजराय			बाबत इजराय		
हुक्मनामा			हुक्मनामा		
मुतफर्रिक			मुतफर्रिक		
मीजान			मीजान		

(मनोज कुमार वर्मा)
उप जिलाकलेक्टर
मलारनाडूंगर

Scanned by CamScanner